मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

क्रमांक ....10....

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी,2017 (माघ, 28, 1938)

सत्रकाल में विधान सभा परिसर की सुरक्षा/प्रवेश-पत्र/पार्किंग व्यवस्था

सत्रकाल (दि.21 फरवरी से 31 मार्च,17) में विधान सभा परिसर कार्यालय एवं दीर्घाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय से प्रवेश-पत्र जारी किये जा रहे हैं। मा. सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने साथ आने वाले आगन्तुकों के प्रवेश-पत्र बनवाकर ही उन्हें परिसर में प्रवेश करायें तथा वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करायें। पार्किंग पास प्रवेश-पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रवेश-पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति/वाहन का परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। मा. सदस्यों के साथ वाहन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का भी प्रवेश-पत्र बनवाना आवश्यक है। वाहन चालक का प्रवेश-पत्र बनाने हेतु वाहन क्रमांक, चालक का नाम एवं पता यथापूर्व उप संचालक (प्रवेश-पत्र) के पास भेजने का कष्ट करें। प्रवेश-पत्र प्राप्ति में असुविधा होने की दशा में संचालक (सुरक्षा) से संपर्क किया जा सकता है।

मा. सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा भवन में कृपया अपने परिचय-पत्र सहज दृष्टव्य रूप में लगाकर आयें तथा अन्य किसी गैर प्रवेश-पत्रधारी व्यक्ति को अपने साथ वाहन में बैठाकर अथवा पैदल विधान सभा परिसर में प्रवेश न करायें तथा अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने साथ विधान सभा की लॉबी में नहीं ले जायें। **समस्त मान. मंत्रीगणों एवं मान. सदस्यों की ड्यूटी में तैनात अंगरक्षकों का सत्र काल के दौरान विधान सभा भवन में प्रवेश वर्जित रहेगा साथ ही बड़े हथियारधारी अंगरक्षकों का परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। मान. विधायकों के वैध प्रवेश-पत्र धारी सहायकों के बैठने की अस्थायी व्यवस्था समिति कक्ष क्र.-2/दलीय कार्यालय के सामने की गई है।**

मा. सदस्यगणों से अपेक्षा है कि मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार एवं सुरक्षा नियमों के अनुकूल व्यवस्थाओं के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.